प्रेस नोट – जनपद फतेहगढ़ **दिनाँक:- 08-04-2021**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहगढ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहगढ व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में चेकिंग के दौरान अभियुक्त राहुल उर्फ घिर्री पुत्र स्वर्गीय सुरेश यादव निवासी मसैनी नगला थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ के कब्जे से मुखबिर की सूचना पर अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद किए साथ ही पूछताछ में पकड़े गए राहुल उर्फ घिर्री द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 430 /20 धारा 302 /201 आईपीसी में मृतक सर्वजीत पुत्र गोरसराम निवासी महमदपुर गढ़िया थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ की मृत्यु के संबंध में बताया कि दिनांक 02.12.2020 को आशु गौर उर्फ आशुतोष सिंह पुत्र कृष्ण कुमार निवासी श्रृगांर नगर थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी व पीयुष मल्होत्रा उर्फ चिकना उर्फ बाब पुत्र मगन विहारी निवासी मोहल्ला खासराना थाना कोतवाली जनपद इटावा के कहने पर लालच में आकर सर्वजीत को अपने मामा के लड़के मोनू के घर से लेकर नेकपुर पुल पर आया जैसे ही मोटरसाइकिल से उतारा पूर्व से घात लगाए आसू व पीयूष उपरोक्त ने राहुल उर्फ घिर्री के साथ षड्यंत्र कर गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक सर्वजीत केशव को नेकपुर पुल पर पड़ा छोड़कर सभी लोग भाग कर निकल गए थे। अभियुक्त राहुल उर्फ घिर्री के बताए अनुसार तीनों को प्रकाश में लाया गया व षड्यंत्र पाए जाने पर धारा 120 बी की बढ़ोतरी की गई है तथा राहुल उर्फ घिर्री को जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लेकर माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भिजवाया गया।

बरामदगी:-

1- 01 अदद तमंचा व 02 अदद कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- राहुल उर्फ घिर्री पुत्र स्वर्गीय सुरेश यादव निवासी मसैनी नगला थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़

आपराधिक इतिहास राहुल उपरोक्त:-

1-मु0अ0सं0 430/20 धारा 302/201 भादवि थाना राजेपुर, जनपद फतेहगढ़

2-मु0अ0सं0 146/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ , जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फतेहगढ़ जय प्रकाश पाल मय पुलिस टीम।